न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 253/2019
आरएमएस नं. 2019/253

नन्दराम पुत्र बनवारी लाल जाति जाट निवासी झाम्बर तहसील व जिला हनुमानगढ।

—अपीलार्थी

बनाम

1. चरण सिह पुत्र भी भागसिंह जाति बाजीगर निवासी झाम्बर तहसील व जिला हनुमानगढ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार हनुमानगढ जिला हनुमानगढ़।

— रेस्पोडेंट्स

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ, दिनांक 04.10.2019
प्रकरण संख्या 108/2012

उपस्थितिः—

श्री रामकुमार कस्वॉ, अभिभाषक अपीलार्थी
श्री प्रदीप मोहन भाटी, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1
श्री रविन्द्र कुमार भाबिया, राजकीय अभिभाषक

निर्णय दिनांक 31.08.2022

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट सं0 1 उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर हनुमानगढ के समक्ष एक प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 8 (2) कॉलोनाईजेशन (जनरल कॉलोनी) शर्त 1955 के तहत प्रस्तुत किया कि चक 5 एसएसडब्ल्यू के खाता संख्या 29/31 प. नं. 169/285 मुरब्बा नं. 51 किला नं. 13 व 25 की .506 है0 भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज है जिसमें किला नं. 13 में आवागमन हेतु कोई स्वीकृत शुदा रास्ता नहीं। प. नं. 169/283 किला नं. 1 ता 5 में उत्तर दिशा में पूर्व से पश्चिम स्वीकृतशुदा रास्ता है। प्रार्थी ने प0 नं0 169/283 में आबादी है प्रार्थी की कृषि भूमि से आबादी मात्र 2 बीघा दूरी पर है जिसमें जाने हेतु अपीलाण्ट की कृषि भूमि के प0 नं0 169/282 के किला नं. 18 व 23 में 25 फुट चौड़ा रास्ता उत्तर से दक्षिण स्वीकृत किये जाने का अनुतोष मांगा। विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय के द्वारा याचित रास्ता स्वीकृत किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।
2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि अपीलाधीन निर्णय प्रभावित पक्षकारों को सुने बिना पारित किया गया है। विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेण्ट ने चक 5 एसएसडब्ल्यू के प0 नं0 169/282 के किला नं. 13 को अपनी कृषि भूमि बताते हुए उसमें काश्त हेतु जाने के लिए कोई स्वीकृतशुदा रास्ता ना होने का कथन कर धारा 8 (2) के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र पेश किया है जबकि उक्त भूमि कृषि भूमि नहीं है व सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रेस्पोडेण्ट को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है। अपीलाधीन आदेश अपीलाण्ट को बिना कोई नाटिस दिये एकतरफा आदेश पारित किया है। प्रभावित पक्षकार को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर दिये बिना आवासीय भूखण्ड के लिए रास्ता स्वीकृत किया है। आवासीय भूखण्ड हेतु कोई रास्ता स्वीकृत करने का विचारण न्यायालय को अधिकार नहीं है। केवल मात्र धारा 251 –ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत ही कृषि भूमि के लिए रास्ता स्वीकृत करने के अधिकार दिये गये हैं। अपीलाण्ट को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी नहीं थी जानकारी होते ही अपील पेश कर दी है। देरी क्षमा की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन कियाकि रेस्पोडेण्ट के पास अपनी भूमि में आवागमन हेतु कोई रास्ता नहीं है। रेस्पोडेण्ट की रास्ते आवश्यकता है। विचारण न्यायालय ने समस्त तथ्यों का परीक्षण कर अपीलाधीन निर्णय के द्वारा रास्ता स्वीकृत किया है जो विधि सम्तम है। अपील अपीलाण्ट खारिज की जावें।

5. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 2 ने विधि अनुसार निर्णय पारित करने का कथन किया।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र सशपथ होने एवं अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

8. जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है, अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने अपनी भूमि में आवागमन हेतु रास्ता स्वीकृत करने के लिए धारा 8 (2) कोलोनाईजेशन (जनरल कॉलोनी) शर्त 1955 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय के द्वारा प्रश्नगत रास्ता अपीलाण्ट की भूमि में से स्वीकृत किया है। प्रश्नगत रास्ता अपीलाण्ट की भूमि में से स्वीकृत किया गया है उसे सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। प्रथमतः तो प्रश्नगत रास्ता आवासीय भूखण्ड के लिए दिया गया है द्वितीय धारा 8 (2) कोलोनाईजेशन (जनरल कॉलोनी) शर्त 1955 विलोपित हो चुका है। जिसके तहत रास्ता स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत नही है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

9. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 04.10.2019 निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायलाय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.8.22 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

31/8/22

(करतारसिंह पुनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़